संख्या-18/2015/380 /71-आयुष-2-2015-04(बी)/2015

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ00,
लखनऊ

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/14-15/2272, दिनांक 24.02.15 एवं पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/14-15/3533, दिनांक 16.03.15 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सलग्न विवरण के अनुसार 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संध लिमिटेड (पैक्सफेड) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83-आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रूपये 119;52 लाख मे से रूपये 112;73 लाख (रूपया एक करोड बाहर लाख तिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीक़तियॉ श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य से स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यायार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग,योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रयोजना के कार्यान्वयन एवं कार्य की गुणवत्ता आदि का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रयोजना प्रस्ताव/ आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्य मदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनाशि का व्यय जिला योजना में आवंटित परिव्यय/बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत ही रखा जाय।
7. उक्त कार्यो को रा0होम्योपैथिक चिकित्सालयों के बिना शैयया युक्त भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1082/71-4-2008-4-एस0एन0डी0/2004 दिनांक 21;05;2008 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कराया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निर्धारित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुगंत दिशा-निदेर्शा एवं निर्माण कार्य की औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाया।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83- लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-789-अनुसूचित जॉतियों के लिये विशेष घटक योजना-07-होम्योपैथ चिकित्सालय भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22;07;2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 18/2015/380(1)/71-आयुष-2-2015/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, हमीरपुर,बुलन्दशहर,महराजगंज,बलिया,कानपुर देहात,गाजीपुर तथा मऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक/महाप्रबन्ध उ0प्र0, विधायन एवं निर्माण सहकारी संध लि0 (पैकफेड), लखनऊ ।
5- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हमीरपुर,बुलन्दशहर,महराजगंज,बलिया,कानपुर देहात,गाजीपुर तथा मऊ ।
6- बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण), समाज कल्याण विभाग, बापू भवन , लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।